ज्ञान. आवाज़. लोकतंत्र.
प्रिया

केस स्टडी

अप्रैल, 2017

काम के साथ सीख

नामः दसमती देवाम

उम्रः 36 वर्ष

शिक्षाः 12वीं तक मुखियाः

2015 से अनुभवः समाजसेवा

ग्राम पंचायतः टूटूगुटू

पंचायत समितिः झींकपानी

जिलाः पश्चिमी सिंघभूम

राज्यः झारखण्ड

दसमती देवाम ग्राम पंचायत टूटूगुटू की मुखिया हैं जो कि झारखण्ड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में है और झींकपानी प्रखण्ड के अन्तर्गत आता है। दसमती देवाम कम बोलने वाली लेकिन आगे बढ़कर काम करने वाली महिला हैं। अपने पति के साथ मिलकर शुरू से ही दसमती देवाम लोगों की सेवा करती थीं जिसमें जरूरतमंद लोगों की मदद के साथ ही उनके बच्चों को स्कूल भेजना, उन्हें कपड़े देना शामिल था। दसमती देवाम और उनके पति के इस व्यवहार से समाज के लोगों ने उन्हें यह कहकर मुखिया का चुनाव लड़ने के लिये प्रेरित किया कि 'अपने पैसे से आप कब तक समाज की सेवा करोगे?' दसमती देवाम बताती हैं कि चुनाव जीतने के बाद उनके सामने बहुत सी चुनौतियाँ आ गयी हैं। उनके अनुसार 'पहली बार चुन कर आये हैं तो दिक्कत तो हो रही है।'

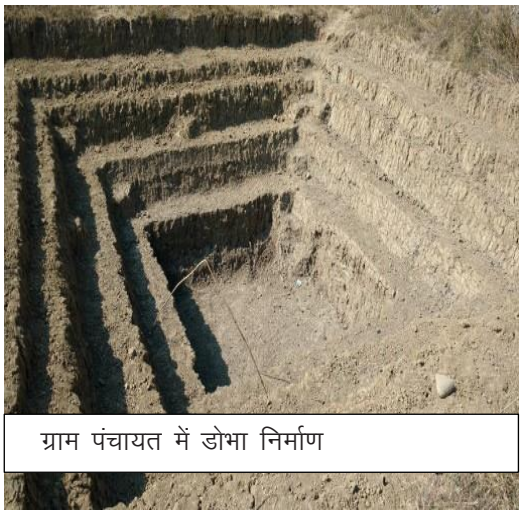

ग्राम पंचायत में डोभा निर्माण

काम के अनुभवों को बताते हुये दसमती देवाम बताती हैं कि अपने वर्तमान कार्यकाल में सरकार की योजना के अनुसार उन्होंने बहुत से परिवारों में शौचालय निर्माण का काम (स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत) और डोभा निर्माण (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या मनरेगा के अन्तर्गत) में सहयोग दिया है । इस दौरान ग्राम पंचायत में पक्की सड़कों और पुलिया का निर्माण भी किया गया है (मनरेगा और 14वें वित्त आयोग की राशि से)। उनके अनुसार गाँव में पीने के पानी की बहुत समस्या है। दसमती बताती हैं कि गाँव के लोग हैण्ड पम्प लगावाने की मांग कर रहे हैं लेकिन 14वें वित्त आयोग में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है। उनके अनुसार गाँव के अधिकांश लोग खेती के काम से आमदनी प्राप्त करते हैं ।

अतः लोग लिफ्ट से सिंचाई कराने की व्यवस्था भी चाहते हैं। दसमती देवाम का मानना है

कि बड़ी संख्या में डोभा बन जाने के बाद ग्राम पंचायत में पानी की समस्या कुछ कम हो जायेगी। दसमती देवाम यह भी बताती हैं कि देर से भुगतान मिलने के कारण लोग डोभा बनाने के काम में बहुत रूचि नहीं ले रहे है।

ग्राम पंचायत में अपने द्वारा किये गये कामों को बताते हुये दसमती देवाम उत्साह से बताती है कि उनके मुखिया बनने के बाद ग्राम पंचायत के लगभग 30–40 लोगों को पेंशन योजनाओं (मुख्यतः वृद्धावस्था पेंशन) का लाभ मिलने लगा है। उनके अनुसार ग्राम पंचायत में बहुत से लोगों के बैंक में खाते भी खोले गये हैं। आधार कार्ड के बारे में पूछे जाने पर दसमती बताती हैं कि अभी भी लोग इसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं और इसलिये आधार कार्ड बनवाने में उनकी रूचि कम है। उनका मानना है कि प्रखण्ड और जिले के स्तर से भी इस बारे में बहुत कम मदद मिलती है।

ग्राम पंचायत की व्यवस्था के बारे में बताते हुये दसमती देवाम बताती हैं कि क्योंकि उन्हें सरकारी भाषा में पत्र लिखना नहीं आता है अतः पंचायत सेवक के द्वारा ही पत्र व्यवहार किया जाता है और उन्हीं के द्वारा ग्राम सभा की सारी बैठकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ग्राम पंचायत के पैसों के संबंध में भी हिसाब पंचायत सेवक ही रखते हैं।

अपनी क्षमताओं से जुड़े एक प्रश्न को बताते हुये दसमती देवाम स्वीकार करती हैं कि एक बार ग्राम सभा की बैठक के दौरान स्कूल में अध्यापकों की कमी के बारे मे चर्चा हुई और लोगों ने उनसे इस संबंध में कार्यवाही करने के लिये कहा। किन्तु क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि किसके पास जाना है?, किसे पत्र लिखना है?, कैसे पत्र लिखना है? तो उन्हें बहुत दिक्कत हुई। ग्राम पंचायत में आने वाले पैसों और उनको अलग–अलग कामों के लिये बाँटने में भी दसमती देवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है और इन सब कामों के लिये उन्हें पंचायत सेवक पर निर्भर रहना पड़ता है।

मुखिया के रूप में और परेशानियों के बारे में बताते हुये दसमती बताती हैं कि उनकी ग्राम पंचायत में 5 राजस्व गाँव आते हैं। क्योंकि काम की तुलना में पैसे कम आते हैं इसलिये उनको बँटवारा करना बहुत कठिन होता है। ऐसे में हमेशा लोग उनसे कहते हैं कि 'दूसरे सब गाँव में दिया तो मेरे गाँव में क्यों नहीं दिया?'

दसमती देवाम को प्रशिक्षण के लिये राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, रांची में जाने का मौका मिला जहाँ उन्हें पंचायती राज, मनरेगा और 14वें वित्त आयोग जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। 'कैशलेस पंचायत' के बारे में उन्होंने बताया कि प्रखण्ड स्तर पर उन्हें एक दिन का प्रशिक्षण मिला है लेकिन मोबाइल, कम्प्यूटर या अन्य चीजों से बहुत परिचित न होने के कारण उनको प्रशिक्षण में बहुत दिक्कत हुई। दसमती देवाम के अनुसार उनकी इच्छा मनरेगा, 14वें वित्त आयोग इत्यादि के साथ उनके अन्तर्गत योजनाओं को स्वीकृत करने के तरीके, पैसों के विभिन्न योजनओं में बँटवारे, कैशबुक में हिसाब रखने तथा अन्य दस्तावेजों

को रखने के संबंध में और ज्ञान लेने की है जिससे उनके द्वारा अपने ग्राम पंचायत के विकास का काम और बेहतर तरीके से किया जा सके।

विषय वास्तु का गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते प्रिया को श्रेय दिया जाएँ I क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस मैं उल्लिखित के अतिरिक्त उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए कृपया library@pria.org पर प्रिया पुस्तकालय से संपर्क करें I

प्रिया (2017), केस स्टडी– काम के साथ सीख

पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया

42, तुगलकाबाद इन्स्टीटयूशनल एरिया नई दिल्ली 110062, भारत

फोन : (91–11) 29956908, 29960931–33 फैक्सः (91–11) 29955183

इ–मेल : info@pria.org वेबसाइट: www-pria-org